न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:—0744—2325871

GCMS NO.-2024/33
मिसल नम्बर—10 / 2024

1.श्रीमति रेखा पत्नि विष्णु उम्र 65 वर्ष
2.श्री विष्णु पुत्र ग्यारसीलाल उम्र 77 वर्ष निवासीगण मकान नं0 436 गौड़ साहब के क्लिनिक के पीछे, हनुमान जी के मंदिर के पास बल्लभबाड़ी कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.धनराज पुत्र विष्णु
2.पिंकी पत्नी धनराज निवासीगण हनुमान जी के मंदिर के पास बल्लभबाड़ी कोटा

अप्रार्थी

—:निर्णयः—

(भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र।)

दिनांक 17/X/24

उपस्थितिः—
1.तरन्नुम अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री वीरेन्द्र कुमार सोनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना—पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना—पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण मजदूरी करते हैं ओर मजदूरी से ही अपन गुजार बसर करते हैं। प्रत्यर्थी क्रम – 1 प्रार्थीगण का पुत्र है एवं प्रत्यर्थी क्रम –2 बहू अर्थात प्रत्यर्थी क्रम –1 की पत्नी है। प्रार्थीगण प्रार्थीया क्रम 1 के नाम खरीद शुदा मकान बल्लभबाड़ी कोटा में मकान नं 436 गौड साहब के क्लिनिक के पीछे, हनुमान जी के मंदिर के पास बल्लभबाड़ी कोटा राजस्थान जिसका पट्टा प्राथीया क्रम 1 के नाम से ही बना हुआ है में निवास करते हैं। प्रार्थीगण ने मजदूरी से ही अपनी हैसियत के अनुसार प्रत्यर्थी क्रम 1 का विवाह 20—22 वर्ष पहले प्रत्यर्थी क्रम 2 से किया था। तब से ही प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण से घर में अलग होने के लिए लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते आ रहे हैं, प्रत्यर्थी क्रम –2 का कहना था कि वह किसी का भी खाना नहीं बनाएगी और अलग ही रहेगी। प्रार्थीगण ने बहुत याचना ओर आग्रह किया कि प्रार्थीगण बुजूर्ग हैं अक्सर बीमार हो जाते हैं, उनसे अब काम नहीं हो पाएगा फिर भी प्रत्यर्थीगण नहीं माने ओर गाली – गलौज करने लगे जिससे प्रार्थीगण ने भी घर की सुख शांति के लिए प्रत्यर्थीगण को अपने घर में ही अलग कमरा देकर रहने दिया। ओर मजबूर होकर बमुश्किल बुढ़ापे में अपना गुजारा करने के लिए मजदूरी करते हैं और अपना भोजन भी स्वयं ही कमाकर ओर बनाकर खा रहे हैं, और स्वयं ही आस पडोस के सहयोग से अपनी बीमारी का भी इलाज करवाते हैं। परंतु फिर भी प्रत्यर्थीगण का प्रार्थीगण के साथ लडाई झगड़ा और गाली गलौज बंद नहीं हुआ, प्रत्यर्थीगण लगातार आए दिन ओर विशेष कर वार त्योहार पर प्रार्थींगण से गाली– गलौज ओर लड़ाई झगड़ा करते ओर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

परेशान करते रहते हैं। प्रत्यर्थीगण कई बार तो उनके साथ मारपीट भी कर देते हैं। परंतु फिर भी प्रार्थीगण परिवार की एकता व सुख शांति ओर अपने बुढ़ापे के लिए प्रत्यर्थीगण के अत्याचार बरदाश्त कर समझाइश के प्रयास करते रहते हैं। 2 वर्ष पूर्व भी प्रत्यर्थी क्रम – 1 ने शराब पीकर प्रार्थीगण के साथ मारपीट की थी जिसकी शिकायत भी गुमानपुरा थाने की सुरजपोल चौकी में दी थी उस समय पड़ोस में रहने वाले शानू प्रार्थीगण को बचाने आए थे और उस समय पुलिस ने भी समझाइश की थी, परंतु उसके बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद प्रत्यर्थीगण ने भी प्रार्थीगण से नाराज होकर प्रार्थीगण के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और प्रार्थीगण से गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें घर से निकालने की धमकियां दी थी जिस पर बाद में पुलिस ने समझाइश करवा कर उन्हें वापस प्रार्थीगण के साथ शांति से रहने के लिए कहा था। फिर भी अभी कुछ दिन पूर्व प्रार्थीया क्रम – 1 के जेठ व प्राथीं क्रम 2 के बड़े भाई के पुत्र की मृत्यु हो गई थी तब भी मृत्यु के कार्यक्रम में जाने को लेकर प्रत्यर्थी क्रम –1 ने प्रार्थी क्रम 2 से खुब गाली गलौज की। और तब से लगातार प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण के साथ रोजाना गाली – गलौज करते रहते हैं मारपीट करते हैं और उन्हें घर से भगाने की धमकियां देते रहते हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा लगातार दी जाने वाली यातनाओं से, मानसिक प्रताडना से. मारपीट से ओर धमकियों से प्रार्थीगण सदैव मानसिक तनाव में रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं और भयभीत रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रत्यर्थीगण के साथ रहना या जीना अब असंभव हो गया है। प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा भी नहीं करते भोजन पानी भी नहीं देते इलाज ओर दवा दारू आदि भी नहीं करवाते बल्कि मारपीट करते हैं। गाली–गलौज करते हैं और प्रार्थीगण के खुन पसीने की कमाई से बनाए गए घर से ही निकालने की धमकी देते रहते हैं ऐसे में उन्हें घर से निकाल दिए जाने पर ही अब प्रार्थीगण सुख शांति से रह सकते हैं। अतः अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को प्रार्थीगण के घर, मकान नं 436 गौड साहब के क्लिनिक के पीछे, हनुमान जी के मंदिर के पास बल्लभबाडी कोटा राजस्थान से निकाले जाने अर्थात बेदखल किए जाने के एवं कठोर कार्यवाही किए जाने के आदेश प्रदान फरमाने की कृपा करें, साथ ही प्रत्यर्थीगण को यह भी निर्देशित किया जाए कि वह प्रार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार से ना तो मारपीट करें ना धमकी देकर या डरा धमका कर प्रार्थीगण को उनके निवास मकान ने 436 गौड़ साहब के क्लिनिक के पीछे, हनुमान जी के मंदिर के पास बल्लभबाडी कोटा राजस्थान से निकालने का प्रयास भी ना करें, तथा प्रार्थीगण को उक्त मकान में शांतिपूर्वक निवास करने दे। प्रार्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का क्रूरता का व्यवहार ना. तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवाए, इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण षडयंत्र पूर्वक प्रार्थीगण के उक्त मकान व अन्य संपत्तियों को अवैध रूप से किसी अन्य के नाम हरतांतरित ना करें ना ही ऋणग्रस्त करें ना ही ऐसा कृत्य स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवाए । प्रार्थीगण के रहने, इलाज के लिए रुपए पैसे की व्यवस्था करें। अंतरिम राहत के रूप में प्रत्यर्थी क्रम – 1 से प्रार्थीगण को भरण पोषण के रूप में 10,000 मासिक दिलाए जाने के आदेश पारित फरमाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रदान की जाए।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के तीन पुत्रियाँ है, तीनों पुत्रियों का विवाह हो चुका है और आये दिन प्रत्यर्थीगण से मिलने–जूलने सलाह मशविरा करने आती रहती है तथा तीनों पुत्रियाँ आर्थिक रूप से सक्षम है, किन्तु प्रार्थीगण ने उक्त पुत्रियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है मात्र प्रत्यर्थीगण को हैरान –परेशान करने के आशय से प्रकरण में पक्षकार बनाया है, जबकि प्रार्थिगण जिस मकान में निवास कर रहे है वह

उपखण्ड अधिकारी
को

पूर्व में कच्ची टापरीनुमा बना हुआ था, प्रत्यर्थीगण ने ही मेहनत मजदूरी से रूपया एकत्रित कर उक्त कच्चे मकान को पक्के मकान में तब्दील किया और प्रत्यर्थीगण छत पर बने एक कमरे में अपने परिवार सहित निवास करते है, जबकि नीचे का ग्राउण्ड फ्लोर का पोर्शन प्रत्यर्थीगण के पास है तथा प्रत्यर्थी नं. 1 प्रार्थीगण का पुत्र है इसके नाते प्रत्यर्थी नं. 1 ने प्रार्थीगण का पूर्ण सहयोग किया है तथा मकान अत्यधिक छोटे साईज का है. ऊपर नीचे के ही कमरें बने हुए है, प्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण को क्यों बाहर निकालना चाहते है, जबकि प्रत्यर्थीगण ने मकान बनाने में भी पूर्ण सहयोग दिया है, आज भी प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण की सेवा करने हेतु तत्पर व तैयार है। प्रार्थीगण की हारी–बिमारी होने पर प्रत्यर्थी नं. 1 ही ईलाज हेतु कोटड़ी में स्थित ए.आर. खान डॉक्टर साहब के पास या भारत क्लिीनिक बल्लभबाड़ी में प्रार्थीगण को लिवाकर ले जाता है, समय पर दवा–गोली व ईलाज कराता है तथा इस बात के आस – पड़ौस वाले एवं किन्नर ताराबाई साक्षी है कि प्रत्यर्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की सेवा में कमी नहीं छोड़ी है, किन्तु प्रार्थीगण ने अपनी पुत्री के बहकावे में आकर गलत तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण पेश कर दिया है। प्रार्थीगण का सिंडीकेट बैंक, रामपुरा, कोटा में बचत खाता है। जिसको प्रार्थीगण की पुत्री माया पत्नी गोविन्द निवासी कन्सुओं, कोटा ऑपरेट करती है तथा प्रार्थीया रेखा ने उक्त बैंक में 6,00,000/– रूपये की एफ.डी. करा रखी है तथा सरकारी योजना के अनुसार प्रार्थीगण राशन का गेहूँ, अन्य सामग्री समय –समय पर प्राप्त करते रहते है और प्रार्थीगण को वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो रही है और डेढ से दो लाख रूपये परिचित व्यक्तियों को ब्याज पर दे रखे है, प्रार्थीगण का भलीभांति घर का खर्चा चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मकान में निवास कर रहे है। प्रत्यर्थी नं. 1 धनराज थर्मल में ठेकेदार के पास मजदूरी का कार्य करता है, बड़ी मुश्किलों से 5–6 हजार रूपये ही वेतन प्राप्त होता है तथा प्रत्यर्थीगण के छोटे–छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किलों से घर का गुजर–बसर चलता है, प्रत्यर्थीगण के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है तथा प्रत्यर्थीगण प्रथम मंजिल पर निर्मित एक कमरें में ही निवास कर रहे है तथा बेदखल करने पर प्रत्यर्थीगण को काफी असुविधा होगी, आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण की पुत्री भी आर्थिक रूप से सक्षम है उनसे भी प्रार्थीगण आर्थिक मदद मांग सकते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उभयपक्ष की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण का सिंडीकेट बैंक, रामपुरा, कोटा में बचत खाता है। जिसको प्रार्थीगण की पुत्री माया पत्नी गोविन्द निवासी कन्सुओं, कोटा ऑपरेट करती है तथा प्रार्थीया रेखा ने उक्त बैंक में 6,00,000/– रूपये की एफ.डी. करा रखी है तथा सरकारी योजना के अनुसार प्रार्थीगण राशन का गेहूँ, अन्य सामग्री समय –समय पर प्राप्त करते रहते है और प्रार्थीगण को वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से प्राप्त हो रही है और डेढ से दो लाख रूपये परिचित व्यक्तियों को ब्याज पर दे रखे है, प्रार्थीगण का भलीभांति घर का खर्चा चल रहा है। दौराने बहस प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त कथन के विरोध में कोई टिप्पणी नही की गई है जिस कारण से अप्रार्थीगण का उक्त कथन अखण्डनीय रहा है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्राथीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थीगण के साथ किसी भी प्रकार से ना तो मारपीट करें ना धमकी देकर या डरा धमका कर प्रार्थीगण को उनके निवास मकान ने 436 गौड़ साहब के क्लिनिक के पीछे, हनुमान जी के मंदिर के पास बल्लभबाडी कोटा राजस्थान से निकालने का प्रयास करें, तथा प्रार्थीगण को उक्त मकान में शांतिपूर्वक निवास करने दे। प्रार्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का क्रूरतापूर्वक व्यवहार नो तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवाए, इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण षडयंत्र पूर्वक प्रार्थीगण के उक्त मकान व अन्य संपत्तियों को अवैध रूप से किसी अन्य के नाम हरतांतरित ना करें ना ही ऋणग्रस्त करें ना ही ऐसा कृत्य स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करवाए। प्रार्थीगण के भरण पोषण एवं इलाज के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 17/4/22 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा